

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग,
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

// संशोधित अधिसूचना //

नया रायपुर, दिनांक ०९/०८/२०१७

क्रमांक एफ १०-५/२०१६/१६ :- छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ई-रिक्शा सहायता योजना अधिसूचना क्रमांक एफ १०-५/२०१६/१६, दिनांक २०.१२.२०१६ के बिन्दु (ब) के (V) में उल्लेखित "छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में कम से कम ९० दिवस पूर्व पंजीयन होना आवश्यक" को ई-रिक्शा सहायता योजना से विलोपित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए०के०के०टी)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

पृष्ठांकन एफ १०-५/२०१७/१६

नया रायपुर, दिनांक ०९/०८/२०१७

प्रतिलिपि :-

01. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी, श्रम विभाग एवं पदेन अध्यक्ष, छ०ग० असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, नया रायपुर (छ०ग०)।
02. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, छ०ग० शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ०ग०)।
03. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ०ग०)।
04. अध्यक्ष, छ.ग.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर (छ०ग०)।
05. कलेक्टर, जिला- (छ०ग०)।
06. नोडल अधिकारी, असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर (छ०ग०)।
07. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, नया रायपुर (छ०ग०)।
08. समस्त उप संचालक/प्रभारी उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (छ०ग०)।
09. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय(छ०ग०)।
10. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, नया रायपुर की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी १०० प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11. गार्ड फाईल।

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग